



राजस्य मन्त्रालय
न्यायालय श्री मान अधिरिक विकासीका महोदय, झज्जौल जिला उज्जैन म.प्र.
प्रकरण क्रमांक // 2012

अरुण कुमार पिता शंकरलाल जी जाति ठाकुर उम्र 57 साल व्यवसाय कृषि निवासी किरन्या बाखल महिदपुर जिला उज्जैन म.प्र.

प्रार्थी/रिहिजन कर्ता

R - 2671-PBR/12
श्री शंकरलाल का
भी शंकरलाल का 27.12
भी शंकरलाल का 27.12
भी शंकरलाल का 27.12

1-8/1

1:-

विरुद्ध
भगवतीलाल पिता शंकरलाल जी —— मृत
मृतक तर्फ वारिसान :-

अ— पुष्करकुमार पिता स्व0 भगवतीलाल जी जाति ठाकुर आयु लगभग 55 साल व्य0 व्यापार
ब— प्रेमकुमार पिता स्व0 भगवतीलाल जी जाति ठाकुर आयु लगभग 52 साल व्यवसाय व्यापार
स— श्री मति चन्द्रकांता स्व0 भगवतीलाल जी जाति ठाकुर आयु लगभग 76 साल व्य0 गृहकार्य उक्त सभी निवासी चौक बाजार महिदपुर जिला उज्जैन

द— श्री मति कल्पना पति महेन्द्रसिंह जागीरदार जाति ठाकुर आयु लगभग 57 साल व्य0 गृहकार्य निवासी 46 जयवीर नगर सोसायटी कॉलोनी बस स्टेण्ड के पास पाटन (गुजरात)

इ— श्री मति सीमा पति विष्णुकांत राव जाति ठाकुर आयु लगभग 52 बावन साल व्य0 गृहकार्य निवास कब्रस्तानरोड अजमेर (राजस्थान) पुरुषोत्तमकुमार पिता स्व0 शंकरलालजी परिहार जाति ठाकुर आयु लगभग 75 साल व्य0 पेंशनर निवासी सेठी नगर उज्जैन म0प्र0

अशोककुमार पिता स्व0 शंकरलालजी परिहार जाति ठाकुर आयु लगभग 62 साल व्य0 नौकरी निवासी नानाखेड़ा वेदनगर उज्जैन म0प्र0

दिनेशकुमार पिता स्व0 शंकरलालजी परिहार जाति ठाकुर आयु लगभग 55 वर्ष व्यवसाय नौकरी निवासी ई, डब्ल्यू एस, 28 जवाहर नगर देवास जिला देवास

निर्मला पिता शंकरलाल पति अजीतसिंह निवासी गुमाशतानगर इन्दौर म.प्र. ——प्रतिप्रार्थीगण

वादः—पुनरीक्षण याचिका (निगरानी) अन्तर्गत धारा 50 भूराजस्व संहिता

यह पुनरीक्षण न्यायालय तहसीलदार महिदपुर के समक्ष प्रचलित राजस्व प्रकरण, प्रकरण क्रमांक 35327/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 9-7-2012 के विरुद्ध असंतुष्ट होकर समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है।

माननीय महोदय

प्रार्थी/रिहिजनकर्ता की ओर से निवेदन है कि:-

अ१३०१९५/१

निरन्तर.....पेज 2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण नं. 2671-पीबीआर/12

जिला - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक ३-१-१९ को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p>(3)</p> <p>प्रशासकीय सदस्य</p>	